न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

सुरेश कुमार आदि बिनाम हरि सिंह आदि

किस्म मुकदमा 225 मु.नं0 71 वर्ष 2018

23.7.18

पत्रावली वास्ते आदेश पेश । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र धारा-212 रा0का0अधि0 के तहत पेश कर आराजी ख0नं0 653 रकबा 1.23 हैक्टर में से पूर्वी तरफ की लगती भूमि रकबा 0.3175 हैक्टर ख0नं0 654 रकबा 0.27 हैक्टर वाके ग्राम जुराठड़ा की मौका सूरत बदल कर राजस्व रेकार्ड में बदलाव करने पर आमादा है । इस पर अदालत मातहत ने रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश पारित किये । इसके बाद अदालत मातहत ने दिनांक 17-7-18 को अन्तरिम आदेश को खारिज कर दिया तथा अप्रार्थीगण का सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील प्रार्थी/अपीलान्ट ने बहस में कथन किया किअदालत मातहत ने बहस प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान पर सुनी गई थी। अदालत मातहत ने सीमाज्ञान का प्रा0 पत्र स्वीकार कर लिया तथा इसके साथ ही जो मुझे स्थगन आदेश प्रथम दृष्टया मामला मानकर दिया गया

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर *
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

था उस आदेश को विधि के विपरित निरस्त करने आदेश पारित किया । इस आदेश के निरस्त करने से रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी को मौके से बेदखल करने पर आमादा है तथा बेदखल कर विवादित आराजी की सीमाज्ञान कर राजस्व रेकार्ड में में तब्दीली कराने पर आमादा है ।रेस्पोडेन्ट अपने इस कुउदेश्य में सफल हो जाते है तो अपीलान्ट का अपील पेश करने का उदेश्य ही समाप्त हो जायेगा ।अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अदालत मातहत के आदेश की क्रियान्विति को स्थगित किया जाकर रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के लिये पाबन्द किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि विवादित आराजी का रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है ।अदालत मातहत में अपीलान्ट ने झुठा दावा पेश कर उसके साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-212 में टी0आई0 एकपक्षीय प्राप्त कर ली । अदालत मातहत ने इस एकपक्षीय आदेश एवं सीमाज्ञान के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनकर आदेश पारित किया है ।अपीलान्ट का उदेश्य केवल हमारी सीमाज्ञान नहीं होने देना का है। जबकि विवादित आराजी हमारे खातेदारी की भूमि है ।अपीलान्ट क्या लेना देना है राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा मैने दौराने बहस पेश किया है।हम रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिनको बिना किसी कारण के अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जो गलत है । अदालत मातहत ने दोनो पक्षों को सुनने एवं रेकार्ड का अवलोकन करने के बाद इनके पक्ष में दिये गये एकपक्षीय आदेश को अपास्त किया है ।जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं है ।प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई ।प्रार्थना पत्र एवं बहस का अवलोकन किया गया ।जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 में ख0नं0 653 रकबा 1.2300 हैक्टर

सुरेश-- हरिसिंह

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	।से 7 के नाम दर्ज है । अदालत मातहत ने दिनांक 15-5-2018 को अपीलान्ट/प्रार्थी को एकपक्षीय आदेश प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुये पारित किया गया था । अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212 राज0 काश्तकारी अधिनियम का आज भी विचाराधीन है । सभी पक्षकारों की तामिल भी हो चुकी है । ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212 का अन्तिम रूप से निस्तारण किया जाना चाहिये था केवल एकपक्षीय आदेश दिनांक 15-5-18 को जारी किया उसे ही अपास्त किया है। जिससे पक्षकारों के मध्य और अधिक पेचिदगीया बढने का ही अंदेशा है ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की अपील को इसी स्तर पर स्वीकार कर रिमाण्ड किया जाना उचित मानते है। जिसमें प्रार्थना पत्र धारा-212 राजस्थान काश्त कारी अधिनियम का अन्तिम रूप से निर्णय करने के निर्देश दिया जाना उचित मानते हैं । अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत का आदेश दिनांक 17-7-2018 को खारिज किया जाता है तथा उभयपक्षों को पाबन्द किया जाता है कि वह रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें ।प्रार्थना पत्र का अन्तिम रूप से निर्णय 30 दिन में पारित करें । साथ ही उक्त आदेश न्यायालय द्वारा विवादित आराजी का सीमाज्ञान करवाये जाने में बाधक नहीं रहेगा । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 7-8-18 को उपस्थित होवें। पत्रावली नम्बर से कम हो । निर्णय सुनाया गया । (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं	